

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आलय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

नं. नारी वनाम चौधरी

मुकदमा आ. पत्र टी. आई. मुकदमा नं. 32 सन् 2018

व हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
--------	--------------------------------------	--

31⁰⁵/₁₈ वकील उर्षी श्री रामावतार विजाराणियां को हाजिर अदालत होकर आ. पत्र टी. आई. पेश किया। उर्षीना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। स्वागत पर बहस वकील उर्षी एक पक्षीय सुनी गयी। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस वकील उर्षी पर सगोर मन्त किया गया जिससे उम्म दृष्टया उम्म पक्षकातन को अन्तरीम टी. आई. से पाबन्द किया जाना व्यायसंगत ज्ञात होता है।

अतः उम्म पक्षकातन को आगामी तारीख पेशी तक जयिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि बादग्रस्त आराजी ख. नं. 2175 एका 1.10 है. व ख. नं. 2129, 2142, 2147, 2148 एका 0.99 है. तन ग्राभ काबय तहसील खण्डेला का किसी तरह से बेचान हस्तांतरण नही करें। अतः उम्म पक्षकातन को उक्त आदेश उल्लेखित करते हुए सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 29/06/18 को पेश हो। उर्षी 0.39 R.03 CPC की पालता करें।

5524-29
13/6/18

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अदालत हुकम के लिए
14-1-19	<p>हुकम नं० 14-1-19</p> <p>अदालत मुंबई</p> <p>26-4-19</p>	
26/4	<p>हुकम नं० 26/4</p> <p>29/5/19</p>	
29-5-19	<p>हुकम नं० 29-5-19</p> <p>5-8-19</p>	
5-8-19	<p>हुकम नं० 5-8-19</p> <p>9-9-19</p>	
7.10.19	<p>पूर्व पेढी पर आज की इमज पर पेढी देने पर आज पत्रावली पेढी हुकम प्रेषी/प्रेषी अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। वगैरे वगैरे आजके दिवाणी कमी/बावजूद आजके अनुपस्थित रहे। अतः प्रेषी की प्रार्थना पर अधिवक्ता अधिवक्ता अदम पेंरवी अदम हाजरी में जारी क्रिया जाता है पत्रावली फेरामकुता दोम नमक से रुक है 95 तकमीन प्राथमिक इमज है</p>	